प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– उप निदेशक मत्स्य,

2– सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक 2651 /नि0शा0/ दिनांक– 24/11/2018.

विषयः **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष बजट का आवंटन**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 29/2018/1493/सत्रह–म–2018, 6–9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 13 नवम्बर, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/ सत्रह–म– 2018–6–9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

3– निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/वी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9– व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10– स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

11– उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखा शीर्षक 2405–मछली पालन– 101– अन्तर्देशीय मछली पालन, 01– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा

12– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (80) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषिमत कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– उप निदेशक मत्स्य,

2– सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक /नि0शा0/ दिनांक– 24/11/, 2018.

विषयः **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष बजट का आवंटन**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 29/2018/1493/सत्रह–म–2018, 6–9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 13 नवम्बर, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/ सत्रह–म– 2018–6–9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

3– निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9– व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10– स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

11– उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखा शीर्षक 2405–मछली पालन– 101– अन्तर्देशीय मछली पालन, 01– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा

12– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (80) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2651 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष-2018-2019
आवंटन दिनांक-24/11/2018

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-INPUT RENOVATION OF PONDS ALLOTMENT 24-11-2018
अनुदान संख्या:-	12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य,वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	505485 4144485	505485 4144485
	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	30863 800576	30863 800576
	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	112500 1622200	112500 1622200
	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	195700 1087700	195700 1087700
	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	3750 1680400	3750 1680400
	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	11511 1958411	11511 1958411
	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - छत्रपतिसाहूजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	30712 2222337	30712 2222337
	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	62500 1884300	62500 1884300
	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	65250 6202500	65250 6202500
	योग	वर्तमान प्रगामी	1018271 21602909	1018271 21602909

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख अठारह हजार दो सौ इकहत्तर
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सोलह लाख दो हजार नौ सौ नौ

वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

11/24/2018

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-24/11/2018

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CONSTRUCTION OF PONDS ALLOTMENT 24-11-2018
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	284450 1372150	284450 1372150
	योग	वर्तमान प्रगामी	284450 1372150	284450 1372150

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख चौरासी हजार चार सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह लाख बहत्तर हजार एक सौ पचास

(पूजा प्रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः-2018-2019
आवंटन दिनांक-24/11/2018

प्रेषण संख्याः- 1
आवंटन आदेश संख्याः- 001-INPUTS CONSTRUCTION ALLOTMETN 24-11-2018
अनुदान संख्याः- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षकः- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	63250 1435400	63250 1435400
2	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24862 4224862	24862 4224862
	योग	वर्तमान प्रगामी	88112 5660262	88112 5660262

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठासी हजार एक सौ बारह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख साठ हजार दो सौ बासठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-24/11/2018

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 002-RENOVATION OF PONDS ALLOTMENT 24-11-2018

अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	339000 3639000	339000 3639000
2	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	69713 769713	69713 769713
3	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	262500 1509700	262500 1509700
4	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	238172 258172	238172 258172
5	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	572000 892000	572000 892000
6	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	35250 1676650	35250 1676650
7	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12900 1946900	12900 1946900
8	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	71625 2191625	71625 2191625
9	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	152250 6137250	152250 6137250
10	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 170000	150000 170000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1903410 19191010	1903410 19191010

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख तीन हजार चार सौ दस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकानवे लाख इकानवे हजार दस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

संख्या-29 /2018/ 1493/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 2018

विषय - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिंग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-553 /नि0शा0, दिनांक 03.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त धनराशि रू0 86.85 लाख में से अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 38.78421 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजना हेतु आय-व्ययक 2018-19 में धनराशि रू0 2000.00 लाख का बजट प्राविधानित किया गया है। अत: वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त धनराशि में से अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 38.78421 लाख के सापेक्ष संलग्न तालिका में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु कुल रू0 39.97139 लाख (उन्तालिस लाख सतान्नबे हजार एक सौ उन्तालिस मात्र) जिसमें केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिंग राज्यांश रू0 14.49529 लाख की धनराशि सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362 /सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016दिनांक24

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है,तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यों के सम्बध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च,2018 व शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दि0 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना(राज्यांश),20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवतन) मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव)

<u>संख्या-29/2018/1493(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- उप निदेशक मत्स्य(नियो0) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या 29/2018/ 1493/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 5 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	लक्ष्य (क्षे0हे0में)	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध किया गया केन्द्रांश	षष्ठम किश्त के रूप में निर्गत होने वाली प्रस्तावित धनराशि			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नये तालाबों का निर्माण	22(हे0)	154.0	2.98346	1.89633	0.94817	2.84450	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 553/नि0शा0 दिनांक 03.10.2018 द्वारा संलग्नक-1 के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/विवरण के अनुसार
2	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट	347(हे0)	520.5	7.65473	7.37589	3.68794	11.06383	
क	नये तालाबों में निवेश	22(हे0)		0.78300	0.58741	0.29371	0.88112	
ख	सुधारे गये तालाबों में निवेश	325(हे0)		6.87173	6.78848	3.39423	10.18271	
3	तालाब सुधार	325(हे0)	1137.5	12.68940	12.68940	6.34470	19.03410	
4	प्रशासनिक व्यय	-	47.38	3.51448	3.51448	3.51448	7.02896	निदेशालय स्तर से धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
	योग-				**25.47610**	**14.49529**	**39.97139**	

(कुल धनराशि रू0 उन्तालिस लाख सन्तान्बे हजार एक सौ उन्तालिस मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

Scanned by CamScanner

Details of subsidy amount to be released under Blue Revolution 2016-17

75% Subsidy (50% Central Share + 25% State Share)					(Rs.in Lakh)	
S.no.	District/ Division	Renovation of Ponds	Inputs Renovation	Construction of Ponds	Inputs Construction	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	FATEHPUR	2.38172	—	—	—	2.38172
2	KAUSHAMBI	1.5	—	—	—	1.5
3	PRATAPGARH	5.72	1.957	2.8445	0.6325	11.154
4	MEERUT	3.39	5.05485	—	—	8.44485
5	AMETHI	0.71625	0.30712	—	—	1.02337
6	BAHARAICH	—	—	—	0.24862	0.24862
7	SANTKABIRNAGAR	0.3525	0.0375	—	—	0.39
8	MORADABAD	2.625	1.125	—	—	3.75
9	MAHOBA	—	0.625	—	—	0.625
10	CHANDAULI	1.5225	0.6525	—	—	2.175
11	ALIGARH	0.69713	0.30863	—	—	1.00576
12	HARDOI	0.129	0.11511	—	—	0.24411
GRAND TOTAL		**19.0341**	**10.18271**	**2.8445**	**0.88112**	**32.94243**

Scanned by CamScanner